

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 23.09.2026

जयपुर विकास प्राधिकरण हेतु आयोग द्वारा Jaipur Development Authority Employees (Recruitment & Promotion) Regulations, 2023 के अन्तर्गत कनिष्ठ विधि अधिकारी (Junior Legal Officer) प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा (Objective Type) परीक्षा का आयोजन दिनांक 26.07.2026 से दिनांक 27.07.2026 तक किया गया।

उपरोक्तानुसार आयोजित लिखित (Objective Type) परीक्षा के चारों प्रश्नपत्रों की परीक्षा में उपस्थित एवं सम्बन्धित सेवानियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थाई (Purely Provisional) रूप से सफल घोषित किया जाता है—

रोल नम्बर

3578170	3578282	3579821	3579999	3580109	3581078
3581803	3582182	3582593	3582725	3582826	3582858
3583640	3583890	3584421	3584670	3584880	3585232
3586484	3586965	3587010	3587138	3587279	3588052
3589120	3589266	3589368	3589627	3590069	3590110
3590123	3590334	3590590	3590877	3590894	3591141
TOTAL CANDIDATES:- 36					

उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच अभी नहीं की गई है। यह जांच साक्षात्कार के समय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विद्यमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं अथवा नहीं?

साक्षात्कार हेतु उपरोक्तानुसार सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नवीनतम विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर (02 प्रतियों में), समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों (मूल एवं फोटो प्रति) सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित हों।

उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किये जाने पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा।

साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS
Gen. (UR)	GEN.	134.45
	GEN. WE	
S.C.	GEN.	107.55
S.T	GEN.	100.34
O.B.C.	GEN.	128.32
E.W.S	GEN.	128.11

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY		CUT OFF MARKS
PH	B/LV	N.A.

नोट:—

1. 'N.A.' से तात्पर्य 'Candidates Not Available Due to Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
2. आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 19.08.2025 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 11 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 11 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर पृथक से आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जा रहे हैं।

(ऋषिबाला श्रीमाली)
संयुक्त सचिव